संख्या- 64/2058/बयालिस-2015-159(बजट)/2015

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लख्नऊ।

खेल विभाग   लखनऊ : दिनांक : 28 अगस्त, 2015

विषय :- स्पेशल ओलम्पिक विश्व समर गेम्स- यू0एस0ए0, 2015 में पदक विजेता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी खिलाडियों को पुरस्कार पद्रान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक खेल अनुभाग के शासनादेश संख्या- 1964/बयालिस-2015-159(विविध)/2015, दिनांक 26 अगस्त, 2015 में स्पेशल ओलम्पिक विश्व समर गेम्स-यू0एस0ए0, 2015 में पदक विजेता को पुरस्कार दिये जाने हेतु उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी उस व्यक्ति को माना गया है जो उत्तर प्रदेश का वास्तविक मूल निवासी (बोनाफाइड डोमीसाइल) है। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्पेशल ओलम्पिक विश्व समर गेम्स-यू0एस0ए0, 2015 में पदक विजेता को पुरस्कार दिये जाने हेतु उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी को निम्नानुसार परिभाषित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- जो उत्तर प्रदेश का वास्तविक मूल निवासी (बोनाफाइड डोमीसाइल) है।

अथवा

(2)- जो उत्तर प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अथवा स्पोर्टस हास्टल का कम से कम दो वर्ष तक छात्र रहा/रह चुका हो।

अथवा

(3)- जो उत्तर प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था की तरफ से अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग ले चुका हों।

अथवा

(4)- जो उत्तर प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त क्रीड़ा संघ/स्पोर्टस बोर्ड द्वारा नामित होकर राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रवेश का प्रतिनिधित्व कर चुका हो।

1- इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या- 1964/बयालिस-2015-159(विविध)/2015, दिनांक 26 अगस्त, 2015 इस सीमा तक संशोधित समक्षा जाये। शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- ई-5-1111/दस-2015, दिनांक 28 अगस्त, 2015 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

डा0 अनिता भटनागर जैन
प्रमुख सचिव।

संख्या- 64/2058(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

(2)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5

(3)- गोपन अनुभाग- 1

(4)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in